[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 47/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा.का.नि......(अ)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।। के खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

''कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।'';

(ख) क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''79क	शीर्ष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं''।

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं.354/173/2017 -टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 12/ 2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सा० का० नि० 703 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० ३२/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर(दर), दिनांक 13 अक्टूबर,2017, सा० का० नि० १२८० (अ) 13 अक्टूबर 2017 के तहत संशोधन किया गया था।